दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये फ्लैटों का निर्माण

1714. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए फ्लैटों की श्रेणी-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) उनमें से इस समय खाली पड़े फ्लैटों की संख्या कितनी है तथा उन्हें आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने अब यह सत्यापित करने के लिए जांच की है कि जो फ्लैट सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया गया है क्या उस फ्लैट में स्वयं वह या उसके परिवार के सदस्य रह रहे हैं ;

(घ) यह जांच कितने अंतराल के बाद की जाती है और किस स्तर के अधिकारी यह जांच करते हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कितने मामले दर्ज किए गये हैं और इन मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली/नई दिल्ली में साधारण पूल से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टाईपवार उपलब्ध फ्लैट इस प्रकार हैं :—

टाइप I	16,431	टाइप IV(वि.)	384
टाइप II	23,118	टाइप V	1887
टाइप III	16,251	टाइप VI	520
टाइप IV	5,001	टाइप VII	108
		टाइप VIII	113
			63,813

(ख) सरकारी वास में रिक्तियां आवर्ती रूप में होती रहती है और रिक्तियों की प्राप्ति, इनके आवटंन और भावी आबंटी द्वारा स्वीकृति में हमेशा कुछ न कुछ अन्तर रहता है। रिक्तियों को बिना कोई समय गवायें आबंटित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते है।

(ग) और (घ) जब कभी भी शिकायत प्राप्त होती है, दो राजपत्रित अधिकारियों के दल द्वारा उस विशेष क्वार्टर की जांच कराई जाती है।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान 1653 मामलों की सूचना दी गई है। दोषी आबंटियों के विरुद्ध सरकारी वास का आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की गई है।

Allotment of plots under tbe Rohini Residential Scheme

1715. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

WiU the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state;

(a) what is the present status ol the allotment of plots to the appli cants in each category under Rohini Residential Scheme and upto what priority number plots in each cate gory have. been allotted till June 1994;

(b) what is the rate per metre charged in 1992, 1993 and 1994 from